कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर

क्रमांक / 877 / 2 / स्थापना. / 2024 इन्दौर, दिनांक 15/07/2024

–:: आदेश ::–

कलेक्टर, जिला–खरगोन व्दारा उनके पत्र क्रमांक 5779 / स्थापना / 2024 खरगोन, दिनांक 15.07.2024 एवं उसके संलग्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कसरावद जिला खरगोन के जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर यह प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 14.07.2024 को नई दुनिया दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "पोर्टल पर आदेश की जगह डाले 100 कोरे कागज के संबंध में" समाचार में उल्लेखित पक्षकारों के प्रकरण एवं आर.सी.एम.एस.पोर्टल पर माह जुलाई में न्यायालय तहसीलदार, कसरावद अंतर्गत निराकृत प्रकरणों के संबंध में प्रारंभिक जांच अनुसार आ.सी.एम.एस.पोर्टल पर माह जुलाई में निराकृत प्रकरणों की रेण्डम जांच की गई जिसमें क्रमशः प्रकरण क्रमांक 2442 / अ–6 / 2023–24 आदेश दिनांक 09.07.2024, प्रकरण क्रमांक 243 / अ–6 / 2023–24 आदेश दिनांक 09.07.2024, प्रकरण क्रमांक 2444 / अ–6 / 2023–24 आदेश दिनांक 09.07.2024 की जांच अनुसार उक्त प्रकरणों के आदेश के रूप में खाली कागजों को आर.सी.एम.एस.पोर्ट पर अपलोड किया गया है।

उपर्युक्त प्रकरणों में श्री मुन्ना अड, तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन व्दारा अपलोड का कार्य शासन नियमानुसार एवं दिये गये निर्देशानुसार विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जाकर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी है।

अतः श्री अड उक्त कृत्य म0प्र0सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (एक), (दो) एवं (तीन) के विपरीत होने से उन्हें म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम, 1966 के नियम–9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला खरगोन निर्धारित किया जाता है।

श्री अड को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(दीपक सिंह)
आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

पृ.क्रं. 878 / 2 / स्थापना / 2024 इन्दौर, दिनांक 15/07/2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म0प्र0भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला खरगोन की ओर आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्री मुन्ना अड, तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन को उक्त आदेश तत्काल तामील कराकर, तामिली रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही आरोप–पत्रादि के प्रारूप मय सुसंगत दस्तावेजों सहित 07 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में अनिवार्यतः भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. श्री मुन्ना अड, तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन ओर पालनार्थ। **(व्दाराः–कलेक्टर, जिला खरगोन)**

आयुक्त,
इन्दौर संभाग, इन्दौर

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner